RIGHT TO INFORMATION

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE
FORM –'D'
REJECTION ORDER
(See Rule 4(2))

No.RTIA/JR(M)-HCIND/ 1836 **Indore, Dated 27.06.2022**

प्रेषक :

ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम),
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ, इन्दौर (म.प्र.)

प्रति,

श्री भगवान सिंह राजपूत पिता श्री गोपाल सिंह राजपूत,
पता–ग्राम–देवरी मुल्ला, पो–बिजाना, तह–मोहन बडोदिया,
देवरी मुल्ला, जिला–शाजापुर (म.प्र.)
मोबाईल नंबर–9303446496, 9303446490

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में अधिसूचना को संबोधित करने के लिए कृपया आपका आवेदन जो कि हमारे आवक क्रमांक 1992 दिनांक 25/06/2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ होकर आई.डी. संख्या 32/2022–2023 दिनांक 25/06/2022 में पंजीकृत है देखें।

आपके द्वारा संदर्भित आवेदन पत्र अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी चाही गयी हैः–

"आवेदक द्वारा दिनांक 18/04/2022 को दिए आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी की जानकारी लिखित में आवेदक द्वारा दिनांक 09/05/2022 को दिए गये आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है लिखित में जानकारी देवे। न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जिला जज महोदय शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 47A/04x02/07 का अभिलेख भेजे जाने के सम्बन्ध में जानकारी लिखित में देवे।"

आपके द्वारा चाही गयी जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं की जा सकती है :–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 घटित किया है जिसके नियम 7 (1) के अनुसार एक नागरिक आवेदन को 50/– रू शुल्क का भुगतान गैर न्यायिक स्टाम्प या ट्रेजरी चालान–रूप में तथा फॉर्म "ए" पर आवेदक की स्वयं की साक्षांकित तस्वीर चिपकाना आवश्यक है लेकिन आपने फॉर्म नंबर "ए" में आवेदन नहीं प्रस्तुत किया है और आप तस्वीर प्रमाणित करने में भी विफल रहे है और 50 रू. का भारतीय गैर–न्यायिक स्टाम्प को संलग्न करने के बजाय आपने रूपये 5/– के दो अलग–अलग भारतीय गैर–न्यायिक स्टाम्प नं. 15AA 555788 तथा 15AA 555789 प्रस्तुत किया हैं।

सूचना अधिनियम 2005 के अधिकार के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इन्दौर) को अपील कर सकते हैं।

27.06.22

(राजेश कुमार शर्मा)
लोक सूचना अधिकारी सह ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम),
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर